

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट अंजड जिला-बड़वानी (म०प्र०)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 47/2015
संस्थान दिनांक 02.02.2015

म०प्र० राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी
जिला-बड़वानी (म.प्र.)
विरुद्ध

-----अभियोगी

रामचन्द्र पिता अमरसिंह, आयु 43 वर्ष,
निवासी-ग्राम दवाना, तहसील ठीकरी,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 28.10.2017 को घोषित)

01. पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 13/2015 के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 12.01.2015 को समय 03:00 बजे दिन में स्थान सचिन पाटीदार के खेत पर बने घर के पास ठीकरी में फरियादी का हाथ लज्जा भंग करने के आशय से पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में धारा 354 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

02. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्त को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2015 को फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति मांगीलाल सचिन पाटीदार दवाना के खेत में नौकर है तथा वे लोग सचिन पाटीदार के खेत में परिवार सहित रहते हैं। सोमवार को उसका पति और देवर काम पर गये उसकी सास मंगलीबाई और देवरानी रोशनी लकड़ी लेने के लिये नदी तरफ गई थी। वह अपने छोटे बच्चे के साथ घर पर थी उसके पड़ोस में सत्येन्द्र पाटीदार का खेत है जहाँ पर आरोपी पानी डालने का काम करता है। दिनांक 12.01.2016 को दिन में लगभग 03:00 बजे आरोपी उनके खेत से पाना ले गया था तथा वापस करने आया था उस समय वह घर के बाहर खड़ी थी। आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा और पास में केले के बगीचे के पास चल कहकर ले जा रहा था उसने अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई तो उसकी सास और देवरानी आ गई। जिनको देख कर आरोपी भाग गया। शाम को उसका पति और देवर काम से आये तब उन्हें घटना बतायी। एक दिन बाद पंचायत चुनाव होने से रिपोर्ट करने नहीं आये। आज वह अपने सास, देवर पति के साथ रिपोर्ट करने आयी। पुलिस ने फरियादी द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त रामचन्द्र के विरुद्ध अपराध क्रमांक 13/2015 अंतर्गत धारा 354 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की गई। पुलिस ने फरियादी की निशादेही पर द टनास्थल का नक्शामौका पंचनामा बनाया, पुलिस ने अभियुक्त रामचन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। पुलिस ने साक्षी फरियादी, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरान्त प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.01.2015 को समय 03:00 बजे दिन में स्थान सचिन पाटीदार के खेत पर बने घर के पास ठीकरी में फरियादी का हाथ लज्जा भंग करने के आशय से पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 संबंध में

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी (अ.सा.1) का कथन है कि घटना लगभग एक वर्ष पूर्व दोपहर 03:00 बजे सचिन पाटीदार के खेत की है। वह आरोपी को जानती है जो उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से केले के बगीचे में जा रहा था। घटना वाले दिन उसकी सास मंगलीबाई तथा देवरानी रोशनी लकड़ी लेने के लिये गयी थी तथा पति और देवर काम करने गये थे तभी आरोपी सचिन के खेत पर आया तथा उसका हाथ पकड़ लिया और उसे केले के खेत में ले जा रहा था। उसके चिल्लाने पर सास और देवरानी लकड़ी लेकर आ गये तब आरोपी उन्हें देख कर भाग गया। उसने घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन थाना ठीकरी पर की थी क्योंकि घटना वाले दिन पंचायत चुनाव थे। साक्षी ने **प्रदर्श पी-1** की रिपोर्ट पर अंगूठा निशानी करना और अपने द्वारा लिखाना स्वीकार किया है। फरियादी का यह भी कथन है कि पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था और नक्शामौका **प्रदर्श पी-2** का बनाया था।

07. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उनका मकान सचिन के खेत में है और उसका पति सचिन के खेत में ही मजदूरी करने आया था। फरियादिया ने स्पष्ट किया कि सचिन के दो अलग-अलग खेत हैं। फरियादिया ने यह भी स्वीकार किया कि उन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे थे तथा सड़क पर लोग आते-जाते हैं लेकिन फरियादिया ने स्पष्ट किया कि उस दिन कोई नहीं था। फरियादिया ने यह भी स्वीकार किया कि उसका सचिन के गांव की निर्वाचन सूची में नाम नहीं है तथा दवाना गांव सड़क पर है, जहाँ से ठीकरी बड़वानी, इंदौर के लिये हर 10-15 मिनट में गाड़ी मिल जाती है। फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसने राजपुर न्यायालय में आरोपी द्वारा बुरी नियत से हाथ पकड़ने की बात नहीं बतायी थी लेकिन स्पष्ट किया कि जबरदस्ती हाथ पकड़ने की बात बतायी थी। उसका पति रात लगभग 09-10 बजे और देवर रात 08:00 बजे वापस आते हैं। फरियादिया ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि आरोपी ने उनका हाथ बुरी नियत से नहीं पकड़ा था। फरियादी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि घटना के समय आस-पास मजदूर थे। फरियादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अपने पति और घर के लोगों से आपस में बातचीत और सलाह के बाद रिपोर्ट लिखवाई थी। फरियादिया ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उसके साथ घटना नहीं हुई है अथवा सचिन पाटीदार और सत्येन्द्र पाटीदार के आपस के विवाद के कारण सचिन ने उससे झूठी रिपोर्ट लिखवाई है।

08. मांगीलाल (अ.सा.2) मंगलीबाई (अ.सा.3) तथा मुन्ना (अ.सा.4) ने भी फरियादिया के कथनों का समर्थन करते हुये आरोपी को पहचानने और सचिन पाटीदार के खेत में फरियादिया के साथ निवास करने के संबंध में कथन किया है। मंगलीबाई (अ.सा.3) का यह भी कथन है कि वह तथा रोशनी लकड़ी लेने गये थे तथा वापस आते समय आरोपी को उन्होंने देखा था। फरियादिया ने उसके पूछने पर बताया कि आरोपी उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत

से खेत में लेकर जा रहा था। उसके दोनों पुत्र उस समय घर नहीं थे। उनके आने पर उनको घटना बताई थी। मांगीलाल (अ.सा.2) मुन्ना (अ.सा.4) ने भी काम से लोट कर आने पर फरियादिया द्वारा उन्हें आरोपी के द्वारा उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से केले के खेत में ले जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि घटना की सुबह चुनाव के लिये वोटिंग हो रही थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षियों ने स्वीकार किया कि वे लोग दवाना में वोट नहीं डालते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि दवाना से ठीकरी के लिये हर 10 मिनट में वाहन मिलते हैं। उन्होंने ठीकरी थाना देखा है। उक्त दोनों ही साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादिया के साथ कोई घटना नहीं हुई थी। मांगीलाल (अ.सा.2) ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उनकी आरोपी से रंजिश है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उनकी बोलचाल थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि हाथ पकड़ने वाली घटना उसकी पत्नी ने बताई है इस आधार पर उसने बताया है। मुन्ना (अ.सा.4) ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उन्होंने आरोपी की झूठी रिपोर्ट लिखवाई है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है। मंगलीबाई (अ.सा.3) ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी को उसकी बहू का हाथ पकड़ते हुये उसने नहीं देखा था लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसकी बहू ने उसे घटना बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया उनके मकान के पास सचिन और बसंतीलाल के मकान है, जिनमें उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं लेकिन साक्षी ने इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रही है।

09. सुरेन्द्र सिंह (अ.सा.5) का कहना है कि दिनांक 14.01.2015 को पुलिस थाना ठीकरी में फरियादिया आरोपी रामचन्द्र कोली के विरुद्ध रिपोर्ट करने आयी थी इसके आधार पर उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 13/2015 **प्रदर्श पी-1** की रिपोर्ट दर्ज की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के दो दिन बाद लिखी गयी थी लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि फरियादिया द्वारा पंचायत चुनाव होने से घटना दिनांक को रिपोर्ट लिखाने नहीं आ पाना बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य रिपोर्ट लिखी है या वह असत्य कथन कर रहा है।

10. आर.आर.सागौरे (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 15.01.2015 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 13/2015 की विवेचना के दौरान उसने घटना स्थल ब्रम्हण गांव दवाना पहुचकर नक्शामौका **प्रदर्श पी-2** का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादिया तथा साक्षीगण के कथन उकने बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना दिनांक को चुनाव था इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि फरियादिया द्वारा घटना स्थल बताया था। उसके आस-पास के किसी भी कृषक के कथन उसके द्वारा विवेचना के दौरान नहीं लिये गये। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी के खेत मालिक सत्येन्द्र पाटीदार के उसने कोई कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि दवाना से ठीकरी के लिये हर 15-20 मिनट में वाहन उपलब्ध रहते हैं तथा दवाना से ठीकरी आने में 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रथम सूचना के आधार पर फरियादी एवं साक्षीगणों के कथन असत्य रूप से लेखबद्ध किये हैं अथवा उसके असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

11. आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलंब से लिखवाई गयी। घटना स्थल के आस-पास किसी व्यक्ति के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये गये। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शकास्पद हो जाती है। इसके विपरीत विद्वान ए.डी.पी.ओ. का तर्क है कि रिपोर्ट विलंब से करने का उचित स्पष्टीकरण दिया गया है तथा फरियादिया के कथन आरोपी द्वारा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर अपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में पूर्णतया विश्वसनीय है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है।

12. यह कहना सही है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 48 घंटे बाद थाने

पर दर्ज करायी गयी लेकिन उक्त विलंब का फरियादिया और सभी अभियोजन साक्षियों ने युक्तियुक्त व्यक्तिगत स्पष्टीकरण यह दिया है कि “घटना के समय फरियादिया का पति व देवर रात के लगभग 08-09 बजे आये और उसके अगले दिन चुनाव था, इस कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ है”। फरियादिया और साक्षियों का उक्त स्पष्टीकरण प्रकरण की परिस्थितियों तथा एक विवाहित महिला के साथ हुये इस तरह के अपराध की प्रकृति को देखते हुये उचित प्रतीत होता है साथ ही बचाव पक्ष की ओर से यह भी दर्शित नहीं किया गया कि उक्त विलंब से आरोपी के हितों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ऐसी स्थिति में केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में हुये विलंब के आधार पर अभियोजन के मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया लेकिन यदि एक मात्र साक्षी के कथन पूर्णतया विश्वसनीय हो तो उसके आधार पर ही अभियोजन अपना मामला प्रमाणित कर सकता है क्योंकि किसी भी मामले को प्रमाणित करने के रूप में साक्षियों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं होती है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य, 2003 (1) एस.सी.सी. 465 अवलोकन करने योग्य है।

13. फरियादिया और मंगलीबाई (अ.सा.03) ने आरोपी द्वारा फरियादी का हाथ पकड़कर बुरी नियत से उसे केले के खेत में ले जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। मांगीलाल (अ.सा.2) तथा मुन्ना (अ.सा.4) ने भी फरियादिया के कथनों का समर्थन किया है। उक्त किसी भी साक्षी के कथन में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे उनकी उक्त साक्ष्य का खण्डन हो। आर. आर.सागौरे (अ.सा.6) ने इस अपराध की विवेचना की है जो कि लोक सेवक है और उसके द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान कार्य करते हुये उक्त प्रकरण में विवेचना की गई है। इस प्रकार परिक्षित संपूर्ण अभियोजन साक्षियों के कथन से युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक स्थान और समय पर फरियादिया (अ.सा.1) जो की एक महिला है, कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उसकी लज्जा का अनादर किया जो कि भा.द.सं. की धारा 354 का अपराध है जो अभियोजन प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः न्यायालय आरोपी रामचन्द्र पिता अमरसिंह, आयु 43 वर्ष, निवासी-ग्राम दवाना, तहसील ठीकरी, जिला-बड़वानी म.प्र. को भा.द.सं. की धारा 354 में दोषसिद्ध करता है।

14. प्रकरण की परिस्थिति अपराध की प्रकृति और समाज में बढ़ रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के देखते हुये अपराधों को देखते हुये आरोपी को परिविक्षा पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय लेखन स्थगित किया जाता है।

सही / -
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)

पुनश्च:-

सजा के प्रश्न पर आरोपी और उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनाया गया। उनका निवेदन है कि आरोपी गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित एवं मजदूर पेशा, मध्य आयु का है उसका यह प्रथम अपराध है। अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये।

15. यह कहना सही है कि आरोपी गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित एवं मजदूर पेशा, मध्य आयु का है। उसने विचारण का सामना शीघ्रता से किया है लेकिन समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुये आरोपी सहानुभूति का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय आरोपी रामचन्द्र पिता अमरसिंह, आयु 43 वर्ष, को भा.द.सं. की धारा 354 में दोषसिद्ध ठहराते हुये एक वर्ष का कठोर कारावास तथा रुपये 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित करता है।

अर्थदण्ड की राशि अदा न होने पर आरोपी 15 दिन का कठोर कारावास अलग से भुगतेंगा। आरोपी द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में से समायोजित की जाये। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा करने पर उसमें से रुपये 300/- अपील अवधि बाद फरियादिया को दिये जाये।

16. आरोपी के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जप्त संपत्ति नहीं है।

17. आरोपी के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

18. निर्णय की एक प्रतिलिपि आरोपी को निःशुल्क दी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही/—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

सही/—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.